

Not process 06.05.2024

पत्रावली पेश हुई।
अधिकृत प्रार्थना/अपॉलिटा/अधिकृत
प्रार्थना ने अपने प्रार्थना-पत्र की
जरिये नोटिस खारिज करने का
निवेदन किया।

अधिकृत प्रार्थना के निवेदन पर
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज. काय. अधि. की डीसी स्तर
पर जरिये नोटिस खारिज किया
जाता है।

पत्रावली कैलकुलेशन सुभार हेम
नम्बर से कुम की जाकर डाकिल
रफ्त है। (पुन)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

